

// प्रेस नोट//

प्रति,

जिला जन सम्पर्क अधिकारी,  
जिला रायसेन।

विषय:- MPSeDC एवं DeGS के माध्यम से आधार पंजीयन केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन के संबंध में।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन का पत्र क्रमांक एफ. 3-2/ 2017/ 41-2 भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2021 एवं UIDAI का पत्र F.No. 4(4)/57/372/2016/ E&U-I Dated: 09<sup>th</sup> May, 2020।

--00--

जिला रायसेन में एमपीएसईडीसी भोपाल एवं जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी रायसेन के माध्यम से UIDAI के निर्देशानुसार शासकीय कार्यालयों में (स्थान व स्वान कनेक्टिविटी की उपलब्धता अनुसार) आधार केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन हेतु Online Website <https://mpsedc.mp.gov.in/uidaicenter/userlogin.aspx> के माध्यम से निर्धारित योग्यता एवं अहर्ता, स्वयं की आधार किट रखने वाले व्यस्क आवेदकों से Online आवेदन अमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन के साथ आवेदक अपना स्थानीय निवास प्रमाण-पत्र, न्यूनतम शैक्षणित योग्यता 10+2 उत्तीर्ण, UIDAI की सहायोगी संस्था NSEIT द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं पोर्टल पर दिए गए प्रारूप अनुसार अन्य दस्तावेज पोर्टल पर संलग्न करना अनिवार्य है। UIDAI द्वारा संबंधित आधार संचालक आवेदक की आई डी जनरेट होने के उपरांत जिला स्तर पर जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी रायसेन एवं आधार सुपरवाइजर के मध्य करारनामा 500 रूपये के Stamp Paper पर किया जाकर आधार सुपरवाइजर द्वारा जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी रायसेन में 25000.00 रूपये धरोहर राशि के जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

नवीन आधार पंजीयन केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं आवेदन से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी रायसेन एवं अनुविभाग / तहसील कार्यालयों में पदस्थ सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक से संपर्क किया जा सकता है।

उक्तानुसार जानकारी जिला स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराए जाने का कष्ट करें।  
(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिलापंचायत एवं ई गवर्नेंस सोसायटी रायसेन  
रायसेन, दिनांक 10/03/2021

पृ.क्र./...2136/ई.गव./2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रबंध संचालक, एमपीएसईडीसी की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायसेन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समस्त, जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
4. तहसीलदार (समस्त), जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
5. सहायक ई-गवर्नेंस प्रबंधक (समस्त), जिला रायसेन की एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिलापंचायत एवं ई गवर्नेंस सोसायटी रायसेन